देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचनाः–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1438 /भू अ० **दिनांक :** 20/10/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–सरकन्डा, थाना–सारठ, थाना सं०–471, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **बासुकीनाथ से चितरा नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–सरकन्डा, थाना–सारठ, थाना सं०–471, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **4.64** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	15	रैयत	बाड़ी–2	1.44	सुबल मंडल वो कुबल मंडल पे० द्वारिका मंडल वो कांग्रेस मंडल वो मुरली मंडल वो भैरो मंडल वो अनिल मंडल पे० रामू मंडल वो विवेक कुमार मंडल पे० धिरेन मंडल वो शंकर मंडल वो विशु मंडल पे० टुलू मंडल वो श्याम मंडल वो नरेश मंडल पे० शंतु मंडल वो अर्जुन मंडल वो भीम मंडल वो सुनिल मंडल पे० तुलसी मंडल वो हुलास मंडल वो विलास मंडल वो महेश्वर मंडल पे० मांगू मंडल वो अजित मंडल पे० प्रमोद मंडल वो कर्मचारी मंडल वो निबू मंडल पे० मथन मंडल वो सिद्धेश्वर मंडल पे० केदार मंडल वो गोदो मंडल पे० दुलू मंडल वो रूकमनी देवी वो फुलकुमारी देवी वो सुनीला देवी पे० अमिन मंडल जाति सुढ़ी साकिन–देह।	सोनातर 459	शिमलाचक 472	मशानजोर 477	खागा 470
2	5	115	रैयत	धानी–2	0.015	तथैव।				
3	5	117	रैयत	धानी–1	0.47	तथैव।				
4	6	17	रैयत	बाड़ी–2	0.19	लक्ष्मण मंडल वो सुर्यनारायण मंडल वो गणेश मंडल पे० देबू मंडल वो रघुनाथ मंडल वो सुबाष मंडल वो प्रकाश मंडल पे० कमल मंडल जाति सूढ़ी निवासी देह।				
5	6	119	रैयत	धानी–2	0.115	तथैव।				
6	6	18	रैयत	बाड़ी–2	0.015	विश्वनाथ मंडल पे० सखी मंडल वो नारायण मंडल पे० किशन मंडल वो पिंकी देवी पति भोला मंडल जाति सुढ़ी निवासी देह।				
7	6	118	रैयत	धानी–2	0.18	तथैव।				

8	11	16	रैयत	बाड़ी–2	0.33	कालीपद मंडल पे० मोती मंडल वो कामदेव मंडल पे० गांगु मंडल वो बुधु मंडल पे० नुनुलाल मंडल वो सुनिल कुमार (दत्तक पुत्र) माता सलखी मंडलाइन वो पोदिया देवी वो पाबो देवी वो फुलिया देवी (पुत्री) माता सलखी मंडलाइन वो मुरीया देवी उर्फ पार्वती देवी वो रूसनी देवी पति राम प्रसाद मंडल वो अन्दू मंडल वो बन्धू मंडल माता सबुवा देवी वो पुरण मंडल वो सुरेन्द्र मंडल माता दुलिया देवी वो मनोज मंडल पे० चौधरी मंडल जाति सुढ़ी निवासी–देह।				
9	11	111	रैयत	धानी–3	0.20	तथैव।				
10	13	14	रैयत	बाड़ी–2	0.19	शंकर मंडल वो गोर मंडल वो निताय मंडल पे० शितल मंडल जाति सुढ़ी साकिन–देह।				
11	13	114	रैयत	धानी–3	0.155	तथैव।				
12	13	116	रैयत	धानी–2	0.27	तथैव।				
13	14	108	रैयत	बाड़ी–2	0.415	लुलु मंडल वो डोमन मंडल पे० सहदेव मंडल वो प्रसादी मंडल पे० देवा मंडल वो नयन गोपाल मंडल वो पूरन मंडल माता यमुनावाला दासी वो विरेन कुमार मंडल पे० बदरी मंडल जाती सुढ़ी साकिन–देह।				
14	14	110	रैयत	धानी–3	0.59	तथैव।				
15	14	112	रैयत	धानी–2	0.065	तथैव।				
				कुल रकवा:–	**4.64**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

E:\2015 L.A (B.K.)\Chitra To Basukinath Rail\Notification\Sarkanda 471.(SY)Docx.Docx

ज्ञापांक ...1434/ भू अ०, देवघर, दिनांक ...20/10/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर

अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।